न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

[illegible] संख्या: 68 / 2020

[illegible]र्थीनी :–

1. केलीदेवी पत्नी धीमाराम
   जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गुलाबाराम पुत्र भलाराम
2. कालूराम पुत्र भलाराम
3. केसरीमल पुत्र भलाराम
4. वीराराम पुत्र भलाराम
5. लाखाराम पुत्र भलाराम
   जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी ग्राम पंचायत गांधव कला तहसील गुड़ामालानी
6. शाखा प्रबन्धक आर.एम.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी
7. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा गुड़ामालानी
8. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीनी
2. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 4 व 5
3. विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3, 6 ता 8 – अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13/08/21

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से वकील रामजीवन विश्नोई द्वारा उपस्थिति दर्ज की परन्तु लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2070–2073 सरहद [illegible] पटवार मण्डल गांधव कला तहसील गुडामालानी के खेत [illegible] 69 [illegible] रकबा 7–00 बीघा भूमि का अवलोकन किया। [illegible] खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी की भूमि के चारों [illegible] पक्की माठे नहीं होने से [illegible] व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व [illegible]द की स्थिति पडौसी ख[illegible] के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:51:53 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं

प्रार्थीनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता हैं दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा गोदारों की ढाणी पटवार मण्डल गांधव कला तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 69/3 रकबा 7–00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13/8/21........ को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी